मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ-9/3/2003/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय - राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना अन्तर्गत जमा राशि के अंतिम भुगतान बाबत् ।

संदर्भ - म.प्र. शासन वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13-4-2005, क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 25 सितम्बर, 2006, एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 7 जून, 2007 एवं एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 .

***

संदर्भित ज्ञापनों द्वारा राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू कर उसमें निधि संधारण तथा अंतिम भुगतान के संबंध में निर्देश प्रसारित किये गये थे ।

2/ इस संबंध में शासन के समक्ष यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि दिनांक 1-1-2005 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारी जिस पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू है, द्वारा त्यागपत्र देने, सेवा निवृत्त होने अथवा मृत्यु होने की दशा में उसके खाते में जमा राशि के अंतिम भुगतान के लिये स्वीकृतकर्ता अधिकारी कौन होगा ?

3/ शासन द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1-1-2005 के पश्चात् नियुक्त शासकीय सेवक के सेवानिवृत्त/त्यागपत्र/ मृत्यु होने की दशा में परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत उसके द्वारा जमा राशि के अंतिम भुगतान की स्वीकृति शासकीय सेवक तत्स्मय जिस पद पर कार्यरत था उस पद के नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत जमा राशि का सत्यापन संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन से कराये जाने के पश्चात् किया जायेगा ।

4/ उपरोक्त स्वीकृति के अधिकार उस अवधि तक ही मान्य /लागू रहेंगे जब तक संबंधित कर्मचारियों के अंशदान शासन द्वारा नियुक्त एस.बी.आई. पेंशन फंड लिमिटेड, यू.टी.आई. रिटायरमेंट सल्यूशन्स लिमिटेड, एल.आई.सी. पेंशन फंड लिमिटेड जैसे फंड मैनेजरों को स्थानान्तरित नहीं हो जाते ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अश्विनी कुमार राय)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

30Rule/sunita/paripat/2010
3/19/2010

पृष्ठा. क्रमांक : एफ 9/3/2003/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 23 मार्च, 2010

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/
18. मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
19. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
20. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
21. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
22. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
25. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
26. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(मिलिन्द वाईकर)
उप सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

37Rule/sunita/paripat/2010
3/19/2010